कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.01.2025

विषयः- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले मे वांछित 25000/- रू0 का इनामिया अभियुक्त विजय कुमार गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0237/2023 धारा 386/389/342/120बी/323/504/419/420/406 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित 25000/- रू0 का इनामिया अभियुक्त विजय कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी किराए का मकान जे-7/1 गोपालगंज बाडाराजपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी, हालपता कैलाशपुर आश्रम रानीपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व पूर्व पता-पीपाट सीटी नागौरी वास थाना सीटी जिला जोधपुर प्रदेश राजस्थान को आज दिनांक-07.01.2025 को समय करीब 12.45 बजे कैलाशपुर आश्रम रानीपुर थाना मण्डुवाडीह से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 25.05.2023 को वादी मुकदमा/ प्रार्थी ने विपक्षीगण द्वारा सामान्य आशय से वादी की गाड़ी रोककर छल-कपट से षड़यन्त्र रचकर भय दिखाकर पैसे की मांग करने, पैसे हेतु अपराध का अभियोग लगाने हेतु भय में डालने, मारने-पिटने, गाली गलौज करने व पैसे ले लेने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना सारनाथ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विजय कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं शादी विवाह कराने का काम करता हूं। वैकेटेश्वर तिवाडी की शादी भी मैंने ही एक लड़की से तय करवायी थी। फिर उनके घर पर वैकेटेश्वर तिवाडी अपने मित्रों के साथ उस लड़की को देखने गये थे जहां पर लड़की की मां और कई और वही काम करने वाली महिला मौजूद थी। बबलू सिंह और रोहित उस लड़की को थाने के पास से लेकर आए थे। बबलू सिंह, रोहित का दोस्त है जो कि मडुवाडीह में कही रहता था, जिसका पता मुझे मालूम नहीं है। शादी सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएं संजय श्रीवास्तव ने किया था। मेरा नेटवर्क संजय श्रीवास्तव वगैरह से है और हम लोग यही सब काम करते थे। इन सब घटना में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे जो पहले जेल जा चुके हैं। मैं राजस्थान की पार्टी से इस शादी के लिए लगभग 2 लाख 40 हजार रुपये लिया था, जिसमें से मैंने 01 लाख 50000 रु0 लिया था। जब मुकदमा लिख गया तो मैं बहुत डर गया था इसलिए किराए के मकान में लुक छिप कर निवास कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- विजय कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी किराए का मकान जे-7/1 गोपालगंज बाडाराजपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी, हालपता कैलाशपुर आश्रम रानीपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व पूर्व पता- पीपाट सीटी नागौरी वास थाना सीटी जिला जोधपुर प्रदेश राजस्थान, उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक 07.01.2025 को समय करीब 12.45 बजे, कैलाशपुर आश्रम रानीपुर थाना मण्डुवाडीह से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0237/2023 धारा 386/389/342/120बी/323/504/419/420/406 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

(1)- थानाध्यक्ष विवेक कुमार त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
(2)- उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
(3)- उ0नि0 सौरवपति त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
(4)- का0 सौरभ कुमार तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी। (सादे वस्त्रो में)
(5)- का0 विनय कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
(6)- का0 अर्जुन कन्नौजिया थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी। (सादे वस्त्रो में)

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी